



2026:AHC:35653

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
रिट-सी संख्या – 6363/2026

रामलखन एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आराधना सिंह, रवि प्रताप नारायण सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान रिट याचिका में एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात उप जिलाधिकारी (सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट), तहसील बदलापुर, जिला जौनपुर को निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 116 के अधीन (पुराना कंप्यूटरीकृत मामला संख्या टी202314360205154 / 2023 (रामलखन बनाम अमित) के साथ) विभाजन वाद संख्या आरएसटी/4080 / 2024 (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या टी202414360204080 / 2024) का निर्णय करने का निर्देश देना है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिशासी अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसल) एवं प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।
3. आज पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
4. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् उप जिलाधिकारी, तहसील बदलापुर, जिला जौनपुर को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उपरोक्त मामले का निर्णय, विधि के अनुसार सख्ती से, यथाशीघ्र करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

17 फरवरी , 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”